संख्या-126/2022/2857/26-3-2022

प्रेषक

डॉ0 रमेश चन्द्र तिवारी
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

निदेशक
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 08 दिसम्बर 2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुसूचित जाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत राज्यांश की धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3488/स0क0/शिक्षा-अ/2/451/2022-23ए दिनांक-29.11.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत राज्यांश के रूप में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत राज्यांश के रूप में प्राविधानित धनराशि रू0-8200.00 लाख (रूपये-बयासी करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07.06.2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो उनमें ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये। धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा उ0प्र0 बजट मैनुअल के पैरा-88 में इंगित व्यवस्था के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग सीमा/स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के भीतर रखा जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की नियमित संवीक्षा अपने स्तर पर किये जाने की व्यवस्था करें तथा समीक्षा में यदि किसी मामले में सीमाधिक्य व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के समाज कल्याण विभाग तथा संबंधित वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग के संज्ञान में लाया जाये। इस संबंध में बी0एम0-13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध कराई जाये तथा बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस संबंध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय के विवरण सहित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उपर्युक्त धनराशि व्यय किये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

(4)- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07 जून दिसम्बर 2022 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

(5) प्रश्नगत योजना की गाइडलाइन्स के अनुसार कार्यवाही की जाय।

(6) प्रश्नगत योजनान्तर्गत लाभार्थी के बैंक खाते में आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से भुगतान किया जाय।

(7) यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नही है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है।

(8) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व विभाग का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश प्र0वि0 द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(9) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(10) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानोंए समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(11)- स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना से सम्बन्धित भारतीय स्टेट बैंकए जवाहर भवन लखनऊ में खुले SNA (Single Nodal Account)में जमा की जायेगी।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0-820000000.00 (रूपये बयासी करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 लेखाशीर्षक-2225-01-789-8920-अनुसूचित जाति के कक्षा 9 व 10 में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति मानक मद-21-छात्रवृत्तियॉ और छात्रवेतन के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या- E-4-305-X-2022-23 दिनांक- 08.12.2022 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय

डॉ0 रमेश चन्द्र तिवारी
उप सचिव।

पृ0संख्या-126/2022/2857(1)/26-3-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार;लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकर (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक निदेशालय समाज कल्याण उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 उ0प्र0 शासन।
6- निदेशक एन0आई0सी0योजना भवन लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

डॉ0 रमेश चन्द्र तिवारी
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।